



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,
विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096
टेली/Tel: 022-28294799 / 28294700 फैक्स/Fax: 022-28291754,
ई-मेल/E-mail : dcseepz-mah@nic.in

फा.सं.सीपज़/न्यूसेज़/पीओएल/62/2011-12/वॉल्यू-II/ 21524

दिनांक: 30.10.2017

सार्वजनिक सूचना संख्या 41/2017

विषय: सेज़ नियमावली, 2006 के नियम 27(6) का कड़ाई से अनुपालन किए जाने के संबंध में ।

सभी संबंधितों का ध्यान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के दिनांक 19.9.2017 के पत्र संख्या डी.12/4/2013-सीपज़(पार्ट) के साथ संलग्न दिनांक 28.8.2017 के पत्र की ओर आकर्षित किया जाता है । संदर्भाधीन पत्र में नामित एजेन्सी के माध्यम से सोने की सोर्सिंग किए जाने का उल्लेख है ।

तदनुसार, मंत्रालय ने सेज़ नियमावली, 2006 के नियम 27(6) में निम्नानुसार संशोधन किया है - "सेज़ यूनिटों को सप्लाई किए गए मूल्यवान रत्नों का स्रोत (सोर्स) का माध्यम नामित एजेन्सियां हों, के स्थान पर सेज़ यूनिटों द्वारा ऋण (लोन) के आधार पर आयातित मूल्यवान वस्तुओं के स्रोत का माध्यम नामित एजेन्सियां ही होंगी, के रूप में पढ़ा जाए ।"

अतएव, सभी संबंधित यूनिटधारकों को निदेश दिया जाता है कि वे उक्त संशोधन के उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन करें ।

यह विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(विजय प्रकाश शुक्ल)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीपज़-सेज़

प्रति,

- (क) सीपज़-सेज़ के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी यूनिट ।
- (ख) एसजीजेएमए ।
- (ग) सूचना पट्ट ।
- (घ) सीपज़-सेज़ वेबसाइट ।



भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA,
विकास आयुक्त का कार्यालय/ OFFICE OF THE DEVELOPMENT
COMMISSIONER,

सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,
वणिज्य और उद्योग मंत्रालय, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096. ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400096
Tel: 022-28294799/28294700
Fax: 022-28291754, E-mail: dcseepz_mah@nic.in

F. No. SEEPZ/NEWSEZ/POL/62/2011-12/Vol-II/24524 Date: 30.10.2017

PUBLIC NOTICE NO. 41 / 2017


Sub : Strict adherence to Rule 27 (6) of SEZ Rules 2006.

Attention is invited to Ministry of Commerce & Industry's letter no. D.12/4/2013-SEZ(Pt.) dt. 19.09.17 endorsing a copy of the letter dt. 28.08.2017. The letter speaks about Rule 27 (6) of SEZ Rules 2006 with regards to sourcing of gold through nominated agency.

Accordingly, Ministry has amended Rule 27 (6) of SEZ Rules 2006 mentioning that the words "and precious metals **supplied to SEZ units** should be sourced only through Nominated Agencies to read as "precious metals **imported by SEZ Units on loan basis** should be sourced only through Nominated Agencies".

Therefore, all the concerned Unitholders are directed to strictly adhere to the provisions of the said amendment.

This issues with the approval of Development Commissioner, SEEPZ SEZ.


(V. P. Shukla)
Jt. Development Commissioner
SEEPZ-SEZ

To,

- All Units under the jurisdiction of SEEPZ SEZ
- SGJMA
- Notice Board
- SEEPZ SEZ Website